न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख आदेश
291/2016 वाद पत्र	04.03.2016	06.06.2016

राकेश पिता रामकुंवार जाट निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
– वादी

बनाम

1. शिवरतन पिता गुलाबचन्द महाजन निवासी फूलियाकलां
2–4 गीता, रतन, सुशीला पिता गुलाबचन्द महाजन नि0 फूलियाकलां
5–8 राजेन्द्र कुमार, दिलीप कुमार, सुनील कुमार, अंजना पिता रामेश्वरलाल महाजन निवासियान फूलियाकलां
9– रतनी बेवा रामेश्वरलाल महाजन निवासी फूलियाकलां
10– प्रहलाद पिता मोतीलाल महाजन निवासी फूलियाकलां
11– परमेश्वर पिता रामदेव कुम्हार निवासी चान्दमा
12– तस्वीर आलम नूरी पुत्र शब्बीर हुसैन पठान नि0 फूलियाकलां
13– सदाम हुसैन पिता नजीर पिनारा निवासी फूलियाकलां
14– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बंटवाड़ा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

वादी ने वाद पत्र वाद पत्र बंटवाड़ा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :– प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

मोतीलाल

भंवरलाल	गुलाबचन्द	प्रहलाद	रामेश्वर
कैलाश सीता शान्ता मंजू	शिवरतन गीता रतन सुशीला		रतनी(बेवा) राजेन्द्र दिलीप सुनील अंजना
प्रेम			

मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है मोतीलाल के चार पुत्र भंवरलाल, गुलाबचन्द, प्रहलाद प्रतिवादी नं0 10 व रामेश्वर हुये है। मृतक मोतीलाल के सबसे बड़े पुत्र भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। मृतक भंवरलाल के पुत्र कैलाश व पुत्रिया सीता शान्ता व मंजू है पुत्र कैलाश की मृत्यु हो चुकी है जिसकी बेवा प्रेमदेवी वारिस है। मोतीलाल के दूसरे पुत्र गुलाबचन्द की मृत्यु हो चुकी है गुलाबचन्द के पुत्र शिवरतन, प्रतिवादी नं0 1 पुत्री गीता प्रतिवादी नं0 2 पुत्री रतनी प्रतिवादी नं0 3 पुत्री सुशीला प्रतिवादी नं0 4 है। मोतीलाल के चौथे पुत्र रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है रामेश्वर की बेवा रतनी प्रतिवादी नं0 9 पुत्र राजेन्द्र, दिलीप, सुनील व पुत्री

अंजना प्रतिवादीगण नं0 5 लगायत 8 है प्रतिवादी 11 को नं0 1 लगायत 4 के द्वारा बिकाव करने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी 12 व 13 गुलाबचन्द द्वारा विक्रय से खरीद कर काबिज होने , प्रतिवादी नं0 14 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के खातेदारी अधिकार की शामलाती खाते की आराजी नम्बर 3316 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 मकान, 4287 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 आ0चा0 कुल किता 0.06 है0 ग्राम फूलियाकलां मे स्थित है। उक्त आराजीयात मे भंवरलाल व उनके वारिसान प्रेमदेवी पत्नि कैलाश चन्द्र, सीता, शान्तादेवी, मंजूदेवी पुत्रियॉ भंवरलाल महाजन का 1/4 हिस्सा, श्री गुलाबचन्द महाजन का 1/4 हिस्सा प्रहलाद का 1/4 हिस्सा व शेष 1/4 हिस्सा रामेश्वर का था परन्तु सहवन से रामेश्वर पिता मोतीलाल महाजन के बजाय राजस्व रेकार्ड मे सुमित्रा देवी पत्नि कृष्णगोपाल स्वर्णकार का नाम दर्ज हो गया जिसकों शुद्वि पत्र संख्या 10 दिनांक 11.04.2014 से सही करते हुए मृतक रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादीगण नं0 5 लगायत 9 के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई। जिसके तहत दिनांक 16.04.2014 को उक्त इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2068–71 मे किया गया। सीतादेवी, मंजूदेवी, शान्तिदेवी पुत्रियॉ भंवरलाल ने अपना 3/16 हिस्सा नानालाल पिता माधुलाल को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया। नानालाल ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के वादी के पक्ष मे विक्रय किया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी मे हो चुका है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 1932 के द्वारा रजिस्ट्रर्ड बिकाव प्रेमदेवी पत्नि कैलाश चन्द्र का 1/16 हिस्सा सुमित्रा देवी पत्नि कृष्णगोपाल के नाम दर्ज किया गया जिसे भी वादी ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर लिया है उसका इन्द्राज भी जमाबन्दी मे हो चुका है। उक्त खरीद से ही वादी अपने हिस्से पर काबिज है। वादी ने अपने हिस्से मे करीबन 4–5 ट्रोली पत्थर की चार दीवारी बनाने बाबत डलवा रखी है। वादी आराजी संख्या 3316 के दक्षिणी पूर्वी सीमा से उत्तरी पूर्वी कोने तक तस्वीर आलम नूरी के मकान तक रास्ते के सहारे सहारे काबिज है। गुलाबचन्द का शामलाती खाते मे 1/4 हिस्सा था ने अपने कब्जे सुदा हिस्से को 16.05.1982 को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से शकूर मोहम्मद पिता सुलेमान खॉ मुसलमान देशवाली निवासी परायड़ा तहसील कैकड़ी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। शकूर मोहम्मद ने उक्त हिस्सा फकरूदीन पिता रमजू मुसलमान निवासी शाहपुरा को विक्रय किया व फकरूदीन की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान चान्द बानू बेवा फकरूदीन, इस्लाम मोहम्द यूसूफ मोहम्द पिता फकरूदीन ने उकत हिस्सा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी नं0 12 तस्वीर आलम नूरी पिता शब्बीर हुसैन पठान व प्रतिवादी नं0 13 सदाम हुसैन पिता नजीर पिनारा को दिनांक 17.07.203 को विक्रय कर दिया। तब से खरीददार उक्त हिस्से पर मकान निर्माण कर मकान बना परिवार सहित निवास कर रहे है। उकत सभी विक्रय पत्र का इन्द्राज जमाबन्दी मे नही होने से व गुलाबचन्द की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने मिलाभगती कर षड़यंत्र पूर्वक दिनांक 17.03.2015 को अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवा लिया व अपना कब्जा व हक अधिकार नही होने के बावजूद भी दिनांक 27.04.2015 प्रतिवादी नं0 11 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही होने से प्रारम्भ से ही विक्रय पत्र शून्य होकर वादी एवं अन्य खातेदारों खरीददारों के मुकाबले बेअसर है।

सहखातेदार गुलाबचन्द द्वारा अपना हिस्सा बिकाव कर देने के बाद सहखातेदारी क आराजी मे हिस्सा खातेदार श्री गुलाबचन्द का शेष नही रहने से बाद वाला बिकाव पत्र बिना अधिकार के होने से किसी भी तरह से बिकावपत्र प्रभावी नही है। प्रतिवादी संख्या 11 ने वादी को धमकी दी कि वह खातेदारान को बैदखल कर देगा व अपना नाम भी खातेदार के रूप मे दर्ज करवायेगा। उक्त आराजीयात को अन्य को बिकाव कर देगा इस कारण वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रतिवादी 11 के पक्ष मे उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। वादी संयुक्त आराजीयात मे अपने 1/4 हिस्से व कब्जे अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य मे किसी तरह का विवाद हिस्सेदारान के बीच उत्पन्न न हो व वादी अपने हिस्से मे आई आराजीयात के हिस्से को अपनी इच्छानुसार लागत लगाकर विकसित कर सके परन्तु सहखातेदारों ने बंटवाड़ा के लिये मना कर दिया गया इस कारण वादी संयुक्त आराजीयात के विभाजन का वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के खिलाफ बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा 2 मे वर्णित आराजीयात मे वादी को उसके 1/4 हिस्सा हक व पैरानं0 4 मे वर्णित कब्जे अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन किये जाने का आदेश बक्षावे। वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण 11 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण नं0 11 के द्वारा संयुक्त आराजीयात मे से प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 से जो हिस्सा बिना किसी हक अधिकार के खरीद किया है। विकाब पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण नं0 11 स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों से अपने पक्ष मे नामान्तरकरण नही खुलवाने वादी के कब्जे मे दखल नही करे व प्रतिवादीगण नं0 14 प्रतिवादी नं0 11 के पक्ष मे नामान्तरकण नही करने बाबत नामान्तरकरण किसी कारण खुल जावे तो खातेदारी अधिकार के आधार पर अपने हिस्से को बिकाव प्रतिवादीगण नं0 11 स्वयं या परिवार के सदस्यो या नोकरो या ऐजेन्टो से न करे व न करावे इस हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दिनांक 04.03.2016 को पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2016 केम्प कोर्ट फूलियाकलां पर दिनांक 06.06.2016 को तलब किया गया। पक्षकारान सभी के सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त हो चुके है किन्तु पेरोकार सरकार के अलावा कोई उपस्थित नही हुये। पेरोकार सरकार से मौके पर वादग्रस्त भूमि बाबत रिपोर्ट ली गई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम फूलियाकलां के खसरा नम्बर 3316 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 मकान व खसरा नम्बर 4287 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 आ0चा0 दर्ज है। जिसका बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाया जाना उचित नही है।

राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम फूलियाकलां संवत 2068 से 71 खसरा संख्या 3316 रकबा 0.03 गै0मु0 मकान, खसरा नम्बर 4287 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह दर्ज रेकार्ड है। किस्म गै0मु0 मकान दर्ज होने एवं गै0मु0 चाह दर्ज होने से विधिसम्मत बंटवाड़ा नही किया जा सकता है तथा किस्म गै0मु0 मकान होने से इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे नही होकर प्रकरण सिविल

न्यायालय के क्षैत्राधिकार का बनता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खातेदारी बंटवाड़ा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.06.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास **श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0**

श्री राकेश पिता रामकुंवार जाट —— वादी

बनाम

1. शिवरतन पिता गुलाबचन्द महाजन निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
2–4 गीता, रतन, सुशीला पिता गुलाबचन्द महाजन निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
5–8 राजेन्द्र कुमार, दिलीप कुमार, सुनील कुमार, अंजना पिता रामेश्वरलाल महाजन निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
9– रतनी बेवा रामेश्वरलाल महाजन निवासी फूलियाकलां
10– प्रहलाद पिता मोतीलाल महाजन निवासी फूलियाकलां
11– परमेश्वर पिता रामदेव कुम्हार निवासी चान्दमा
12– तस्वीर आलम नूरी पिता शब्बीर हुसैन पठान निवासी फूलियाकलां
13– सदाम हुसैन पिता नजीर पिनारा निवासी फूलियाकलां
14– तहसीलदार, फूलियाकलां

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **53–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955**

मुकदमा नम्बर **291 सन् 2016 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदासलत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व. ....X............. मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्त दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खातेदारी बंटवाड़ा आराजीयात एवं स्थायी निषेघाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख **06** माह **06** सन् **2016** से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा